न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 38/2016 निगरानी

उनवान प्रकरण

1.श्री प्रवीण पिता गोपाल लाल कोली
2.श्री योवन पिता गोपाल लाल कोली निवासियान बिजौलिया, तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा (राज0)

—निगराकार

बनाम

1.श्री प्रकाशचन्द्र पिता दगनलाल जैन निवासी बिजौलिया
2.श्री लादूलाल पिता चतुर्भुज शर्मा निवासी बून्दी रोड़ बिजौलिया हाल केन्द्रीय जिला कारागृह भीलवाड़ा
3.श्री विकास पिता प्रकाशचन्द्र जैन निवासी रामद्वारा मार्ग, पथिक नगर, बिजौलिया
4. ग्राम पंचायत बिजौलिया जरिये सरपंच ग्रा0पं0 बिजौलिया

—गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, विरूद्ध ग्राम पंचायत बिजौलिया पत्रावली संख्या 384/90–91, पट्टा सं0 357, फैसल दिनांक 25.12.1990

उपस्थित :– श्री दिनेश सिसोदिया अधि0, निगराकार की ओर से
विभागीय प्रतिनिधी गैर निगराकार सं0 4 की ओर से
श्री आर0सी0सारस्वत अधि0 गैर निग0सं0 1 व 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक : 07/06/2017

निगराकार की ओर से यह निगरानी पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत बिजौलिया बमामले पत्रावली संख्या 384/90–91 के पट्टा संख्या 357 निर्णय दिनांक 25.12.1990 के खिलाफ दिनांक 24.12.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम बिजौलिया के खतौनी संख्या नई 285 पुरानी 261 में दर्ज आराजी नम्बर 239/2 पर निगराकार खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज है तथा यह आराजी पूर्वाधिकारी श्री बालू पिता पूरा उर्फ भूरा से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था। निगराकार अनुसूचित जाति का सदस्य है। इस आराजी नम्बर 239/2 को सन् 1984 में बालू पिता पूरा कोली को आवंटन की गई जिस पर बालू पिता पूरा उर्फ भूरा कोली को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए थे। दिनांक 18.08.2009 को पंजीकृत विक्रयपत्र के जरिये उक्त आराजी नं0 239/2 निगराकार के खातेदारी काश्तकार दर्ज होकर अधिकार एवं आधिपत्य एवं स्वामित्व में राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है। सत्यबाला पिता ईश्वरदयाल गर्ग निवासी बिजौलिया जो लाऔलाद फौत हो गई तथा उसके परिवार में कोई भी जीवित सदस्य नहीं रहा ना ही कोई उत्तराधिकारी है इसकी जानकारी गैर निगराकार संख्या 1 से लगायत 3 को भलीभांति थी। विवादित पट्टा भी उसी के नाम था जो नियमों के विपरीत उसने अपने स्वयं के नाम से सत्यबाला ने अवैध व नियमों के विपरीत पट्टा बनवा लिया। सत्यबाला का कब्जा कभी भी

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

भूखण्ड पर नहीं रहा। प्रकाश चन्द्र पिता छगनलाल गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में कोई भी विक्रय पत्र सम्पादित नहीं किया न ही विक्रय के अनुसार कोई कब्जा ही रहा है तथा एक फर्जी व कूटरचित एवं अनस्टाम्प्ड एवं अनरजिस्टर्ड दस्तावेज तैयार कर जो दस्तावेज के अनुसार दिनांक 22.03.2003 का स्टाम्प दिनांक 23.03.2003 को लिखा गया। दिनांक 25.03.2003 को नोटराईज्ड होना बताकर विपक्षी गैर निगराकार संख्या 1 ने अपने नाम पर स्टाम्प का निष्पादन होना बताकर उसी स्टाम्प के आधार पर विपक्षी गैर निगराकार संख्या 2 के पक्ष में उप पंजीयक से मिलीभगती कर विक्रय का पंजीयन करा लिया। गैर निगराकार संख्या 2 आदतन अपराधी होने तथा अपनी पत्नि की हत्या का अपराध करने के कारण वह जिला कारागृह भीलवाड़ा में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। गैर निगराकार संख्या 2 ने जिला कारागृह से धारा 39 नियमानवली 1955 के अनुसार आपसी षड़यंत्र रचकर विक्रय करना बताकर विक्रय का पंजीयन करवाया जो दिनांक 12.01.2011 का विक्रय पंजीयन है। जिसमें कभी भी कोई कब्जा न तो निगराकार संख्या 1 के पास रहा था न ही निगराकार संख्या 2 को अन्तरण हुआ न ही गैर निगराकार संख्या 3 का कब्जा किसी भी भूखण्ड पर वर्णित पत्रावली अनुसार व पट्टे अनुसार नहीं रहा है। आराजी नम्बर 239/2 सन् 1984बमें बालू पिता भूरा उर्फ पूरा को आवंटित हो गैर खातेदारी से दर्ज हुई तथा पंजीकृत विक्रय विलेख से निगराकार ने कब्जा ले विक्रय पत्र का पंजीयन कराया तथा विक्रय पत्र का पंजीयन होने के साथ ही उसे खातेदारी अधिकार नामान्तरकरण के जरिये मिले तथा वर्तमान में निगराकार ही खातेदार होकर काबिज है। इन्द्रा कॉलोनी तृतीय का प्लान न तो राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत है तथा न ही जिलाधीश महोदय द्वारा ही कोई अनुमति दी गई है । इस प्लान के अधिकांश पट्टे पूर्व में निरस्त कर दिये गये है तथा प्लान की कोई भूमि आबादी में रूपान्तरित ही नहीं हुई जिसके चलते भी अवैध व विधि विरूद्ध मानते हुए पट्टे निरस्त करने की कार्यवाही की गई। सत्यबाला ने अपने जीवनकाल में पट्टे के मुताबिक कभी कोई कब्जा अपने पास नहीं रहा। सत्यबाला का दस्तावेज कम्पलीट सेल की परिभाषा में आता है क्योंकर वह पंजीकृत नहीं हुआ और अगर पंजीकृत नहीं है और अनस्टाम्प्ड है तो साक्ष्य में उसे किसी भी उद्देश्य से देखा नहीं जा सकता। जो भी पंजीयन 18 अगस्त, 2009 के पश्चात हुए तथा पंजीयन विधि विरूद्ध होने से तथा अनुसूचित जाति की आराजी में ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार ही नहीं था। इसके चलते सत्यबाला के पक्ष में जारीशुदा पट्टा अवैध व नियमों के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अवैध पंजीयन के लिए पुलिस थाना बिजौलिया में विभिन्न प्रकरण दर्ज हुए है जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट निगराकार की ओर से 212/2015 एवं 305/2015 दर्ज करवाई गई जो अनुसंधान में है । राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 142 से लेकर 158 के प्रावधानों के विपरीत जाकर गैर निगराकार संख्या 4 ने पट्टा जारी किया है जो अवैध व शून्य है तथा निरस्त होने योग्य है। पट्टे में जो पड़ौस अंकित किये गये है उन पड़ौसों का कहीं अता पता नहीं है। भुजबल व जोर जबरदस्ती पर गैरनिगराकार संख्या 1 से लगायत 3 आपराधिक तत्वों को साथ लेकर अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य की जायज हकों की आराजी 239/2 जो निगराकार के नाम से दर्ज है उस पर कब्जा करने की नियत से जबरन निर्माण सामग्री डालनेसे विवाद उत्पन्न हुआ जिसके कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट निगराकार की ओर से दर्ज हुई, जिसमे पता चला कि एक पट्टा जो गैर निगराकार संख्या 4 द्वारा जारी किया गया है वह विवादित पत्रावली के जरिये जारी हुआ है जिसकी जानकारी होते ही निगराकार की ओर से अन्दर मियाद निगरानी प्रस्तुत है। गैर निगराकार संख्या 1 ने 2के पक्ष में तथा गैर निगराकार संख्या 02 ने 03 के पक्ष में विक्रय का पंजीयन कराया परन्तु कब्जे का कोई अन्तरण नहीं हुआ। गैर निगराकार संख्या 02 सजायाज कैदी है, कब्जे का अन्तरण संभव ही नहीं है। पट्टा जारी होने की जानकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की दिनांक के बाद हुई। इसके पश्चात दिनांक 12.02.2016 को निगराकार के अधिकार आधिपत्य एवं स्वामित्व की आराजीयात पर उप पुलिस अधीक्षक माण्डलगढ से सांठ गांठ करअवैध तौर पर उप पुलिस अधीक्षक ने वहां मौजूद रहकर

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

कब्जा कराने का प्रयास किया जिसके पश्चात यह निगरानी पेश करने की नौबत पेश हुई है। अतः प्रार्थना है कि निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर गैर निगराकार संख्या 4 के द्वारा जारी किया गया पट्टा संख्या 357 दिनांक 25.12.1990 तथा पत्रावली संख्या 384/90–91 मे हुई बापी पट्टे की कार्यवाही को पत्रावली का आदेश निरस्त फरमाते हुए पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 09.09.2016 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत से पट्टा जारी करने सम्बन्धी रेकार्ड तलब किया गया।

गैर निगराकार संख्या 2 बावजूद सूचना के न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहे। गैर निगराकार संख्या 3 के द्वारा दिनांक 17.01.2017 को जवाब प्रस्तुत किया कि हम पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है उक्त राजीनामा अनुसार मुझ विपक्षी के हक में जारी किये गये पट्टा संख्या 357 दिनांक 25.12.1990 इन्द्रा कॉलोनी , बिजौलिया को निरस्त किए जाने मे मुझ विपक्षी को कोई एतराज नहीं है। उक्त राजीनामें पर निगराकार योवन कोली व गैर निगराकार विकास जैन के हस्ताक्षर है जिस पर वकील निगराकार के हस्ताक्षर है। अन्य गैर निगराकार की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर पत्रावली को बहस में रखा गया। दिनांक 24.05.2017 को निगराकार अधिवक्ता तथा गैर निगराकार संख्या 1 व 3 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

प्रथम दृष्टया वादोक्त भूमि आ0नं0 239/2 रकबा 3.00 बीघा निगराकार श्री प्रवीण एवं योवन पिता गोपाल लाल कोली निवासियान बिजौलिया की खातेदारी की है जो पत्रावली में प्रस्तुत ग्राम बिजौलिया की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 की फोटो प्रति से सुस्पष्ट है। अर्थात वर्तमान रिकॉर्ड में वादोक्त भूमि कृषि भूमि दर्ज होकर किस्म बारानी तृतीय दर्ज है। जबकि ग्राम पंचायत बिजौलिया के द्वारा पत्रावली संख्या 384/90–91 से जारी पट्टा संख्या 357 दिनांक 25.12.1990 से 30 गुणा 60 फीट कुल 1800 वर्गफीट का एक भूखण्ड सुश्री सत्यबाला पिता ईश्वर दयाल गर्ग(अग्रवाल) निवासी बिजौलिया केनाम पर जारी कर दिया जिसका ग्राम पंचायत बिजौलिया को कोई अधिकार नहीं था। ग्राम पंचायत बिजौलिया से उनके न्यायालय की पत्रावली तलब की गई तो मात्र पट्टा संख्या 357 की प्रति प्रेषित की गई। इस प्रकार यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बिजौलिया के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 142 से 158 में अंकित प्रक्रियाओं को नहीं अपनाया गया है। जब भूमि ग्राम पंचायत की ही नहीं थी उसके द्वारा किन नियमों के तहत यह पट्टा जारी किया है। इस ग्राम पंचायत या उनके प्लीडर के द्वारा उपस्थित होकर वक्त बहस तथ्यों को स्पष्ट नहीं किया। उक्त भूखण्ड गैर निगराकार संख्या 1 से लगायत 3 को जरिये विक्रयपत्र के द्वारा बिकाव होकर पंजीयन किया जाता रहा। परन्तु उक्त विक्रय प्रारम्भ से शून्य होकर निष्प्रभावी था क्योंकि ग्राम बिजौलिया की आ0नं0 239/2 कृषि भूमि होकर अनुसूचित जाति के सदस्य की खातेदारी भूमि है जिसका कृषि से अकृषि प्रयाजने हेतु आबादी के लिए रूपान्तरण नहीं हुआ साथ ही उक्त निजी भूमि पर ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कोई हक व अधिकार नहींथा ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत बिजौलिया के द्वारा उनकी पत्रावली संख्या 384/90–91 से जारी पट्टा संख्या 357 दिनांक 25.12.1990 निष्प्रभावी है। स्वयं गैरनिगराकार संख्या 3श्री विकास पिता प्रकाशचन्द्र जैन ने दिनांक 17.01.2017 को राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त पट्टे को निरस्त फरमाया जावे क्योंकि विवादित भूखण्ड हस्तान्तरण हेतु दस्तावेज का अन्तिम पंजीयन गैर निगराकार संख्या 3 श्री विकास पिता प्रकाशचन्द्र जैन के पक्ष में है। इस प्रकार ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा उनकी पत्रावली संख्या 384/90–91 से जारी पट्टा संख्या 357 दिनांक 25.12.1990 प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य प्रभावी होकर निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहराई जाती है। अतएव

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत बिजौलिया बमामले पत्रावली संख्या 384/90–91 से जारी पट्टा संख्या 357 निर्णय दिनांक 25.12.1990के क्रम में स्वीकार की जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत का पट्टा संख्या 357 दिनांक 25.12.1990 विधि विरूद्ध होकर अवैध होने से निरस्त किया जाता है । तलबिदा रेकार्ड मय निर्णय प्रति के अधीनस्थ ग्राम पंचायत बिजौलिया को भालना हेतु भिजवावें।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा